

Vol - 05/March 2019

ISSN 2395-051X

Research Times

A Peer Reviewed Research Journal
(Published under RUSA of Govt. of India)

Patron
Dr. A. K. Pateria

Editor
Professor Naveen Gideon



Re Accredited By NAAC "A"
Government Autonomous Girls Post Graduate
College of Excellence, SAGAR (M.P.)

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण

डॉ. दीपक कुमार मोदी

राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

किसी भी देश की अपेक्षित प्रगति और उचित विकास का मानदण्ड वहाँ की महिलाओं का जीवन स्तर तथा सामाजिक स्थिति है। समाज निर्माण के ये दो परस्पर-पूरक तत्व हैं फिर भी समाज के संचालन में एक की सक्रियता एवं दूसरे की प्रायः निष्क्रियता रही है। मानव-प्रचेष्टित संख्यागत असंतुलन का अप्राकृतिक हस्तक्षेप के कई दुस्परिणाम हुए हैं। आधुनिक काल में आते-आते पुरुष और नारी में भेद करने एवं भ्रूण हत्या के कारण नारी की संख्या घटने लगी और मानव-समाज में संख्यागत असंतुलन होने लगा। सिद्धांत के धरातल पर स्त्रियों को पुरुषों के समांतर अवश्य माना गया किन्तु व्यवहारिक धरातल पर नारी समाज को दूसरे स्थान पर रखकर उसकी उपेक्षा की गई।

भारतीय संविधान के निर्माण के समय यह महत्वपूर्ण है कि संविधान के निर्माणकर्ता पुरुष अधिक थे किन्तु संवैधानिक उपबंधों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि स्त्री और पुरुष में कोई लिंग-भेद नहीं किया जायेगा। किन्तु सामाजिक परिस्थितियाँ इसके ठीक विपरीत थी। इस लिंग-भेद को सामाजिक स्तर पर दूर करने का प्रयास कई समाज सुधारकों ने किया और ये प्रयास निरंतर जारी हैं। किन्तु मध्यप्रदेश में यह प्रयास मध्यप्रदेश शासन ने महिला केन्द्रित योजनाओं के सफल एवं सार्थक प्रयासों से किया जिसके परिणाम स्वरूप विचारधारा के स्तर पर परिवर्तन निश्चित रूप से प्रकट हो रहा है। आज सम्पूर्ण भारत में म.प्र. में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के मॉडलों को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत में बेटियों बहनों और माताओं को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। नारी का सम्मान करना ही भारत की संस्कृति है। केवल एक दिन महिला दिवस मनाने से बेहतर है कि हर दिन महिलाओं के सम्मान को सम्पादित होना चाहिए। सरकार और समाज दोनों को मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिये।

पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को हर क्षेत्र में नेतृत्व देना जरूरी है। उन्हें स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। आज वे पूरी दक्षता से प्रशासन चला रही हैं। पुलिस विभाग सहित अन्य सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। आज हमें बेटों का जन्म चाहने की मानसिकता बदलने की जरूरत है। पुरुष प्रधान मानसिकता महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती है। यदि समाज साथ नहीं दे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। सबको धीरे-धीरे संकल्पबद्ध होना होगा तभी प्रदेश पूरी तरह नशामुक्त होगा। सरकार और समाज दोनों को साथ-साथ चलना होगा।

“बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ” भारत की संस्कृति को पहचानने और बचाने की पहल है। प्रदेश में बेटियों की लिए कई अनूठी योजनाएँ शुरू की गई हैं।